साठगांठ करके बिल्डर कर रहे अवैध फ्लैट की रजिस्ट्री

निबंधन विभाग ने जिला अवर निबंधकों को पत्र लिख चेताया

रमण शुक्ला • पटना

बिहार में बिल्डर, कानून की धड़ल्ले से अनदेखी कर रहे हैं। रजिस्ट्रार से साठगांठ कर रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के प्रावधानों को दरकिनार कर फ्लैट की रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। यही नहीं, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य पूरा किए बगैर आर्किटेक्ट से फर्जी प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं। अर्धनिर्मित अपार्टमेंट को पूर्ण दिखाकर फ्लैट की रजिस्ट्री भी कर रहे हैं। रेरा की जांच में तमाम गड़बड़ियां सामने आई है। रेरा की आपत्ति और शिकायत पर पूरे प्रकरण को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने गंभीरता से लिया है।

दरअसल, बिल्डर रेरा में प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराए बगैर प्लॉट, फ्लैट और कार्यालय के लिए जगह की खरीद-फरोख्त में जुटे हैं। इसी तरह वे कृषि भूमि का व्यवसायिक में परिवर्तन कराए बगैर कारोबार कर रहे हैं। ऐसी तमाम हेराफेरी पर रेरा ने पत्र लिखकर निबंधन विभाग का ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसे में बिल्डरों के खिलाफ निबंधन विभाग ने पंत्र लिखकर रजिस्ट्रारों को सावधान किया है।

बिल्डर रेरा में प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराए बगैर प्लॉट, फ्लैट और कार्यालय के लिए जगह की खरीद फरोख्त में जुटे हैं

नगर निकाय बने मूकदर्शक

बिल्डरों की हेराफेरी के आगे नगर निकाय मूकदर्शक बने हुए हैं। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। इनकी मिलीभगत से प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। अधूरे अपार्टमेंट को पूर्ण दिखा कर खरीद-फरोख्त की जा रही है। खरीदारों द्वारा भवन के पूरे हो जाने का प्रमाणपत्र मांगने पर मुहैया नहीं कराया जा रहा। जबकि बिक्री के लिए बनाए जा रहे सभी व्यावसायिक और आवासीय भवनों का पूर्णता (कम्प्लीशन) व अधिभोग (ऑक्यूपेंसी) प्रमाणपत्र संबंधित नगर निकायों से अनिवार्य रूप से लेना है। यह जिम्मेदारी बिल्डर की है।